Need to discontinue the Banswara Nuclear Power Plant in Rajasthan-laid

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन दानपुर परमाणु बिजलीघर निर्माण में असंवैधानिक तरीके से राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिकार कानून 2013 की अवहेलना कर गरीब आदिवासियों को पाक अधिग्रहण किया जा रहा है । उक्त अधिनियम के सेक्शन 41 व 42 में है कि दवत क्षेत्र में भूमि अधिग्रहित से पहले पैसा एक्ट एवं रूड़ीगत ग्रामसभा से अनुमति लेना अनिवार्य है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधीन करने से पहले जनजाति आयोग के अनुमति लेना भी आवश्यक है, यह सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के द्वारा केंद्र एव साज्य सरकार को निर्देशित किया गया है ।

पूर्व में माही बांध परियोजना से जो आदिवासी परिवार विस्थापित हुए थे, उन्हें एक बार फिर से विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनकी आजीविका और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है । परमाणु बिजलीघर बांसवाड़ा शहर से 40 KM दूर है और आदिवासी क्षेत्र में है । परियोजना के लिए माही बांध दो पानी लेने और कैमिकल युक्त वेस्टेज पानी दुबारा माही बांध में ही छोड़ने की योजना है, जिससे क्षेत्र में गांभीर स्वास्थ्य, पर्यावरणीय खतरे होंगे । सरकार को इस परमाणु दिजलीघर पर तत्काल रोक लगाते हुए आदिवासी परिवारों के भविष्य को सुरक्षित किया जाये ।